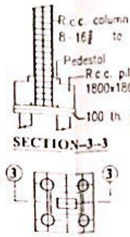


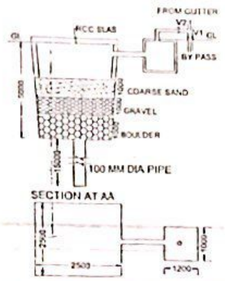
SECTION AT S-S

DETAIL OF SEPTIC TANK & SOAKPIT



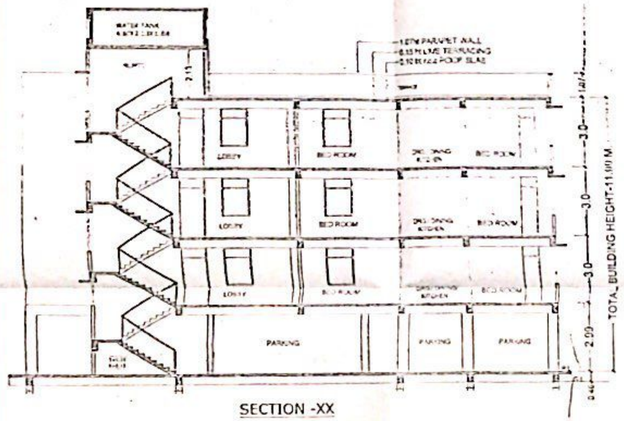
SECTION-3-3

DETAIL OF FOUNDATION

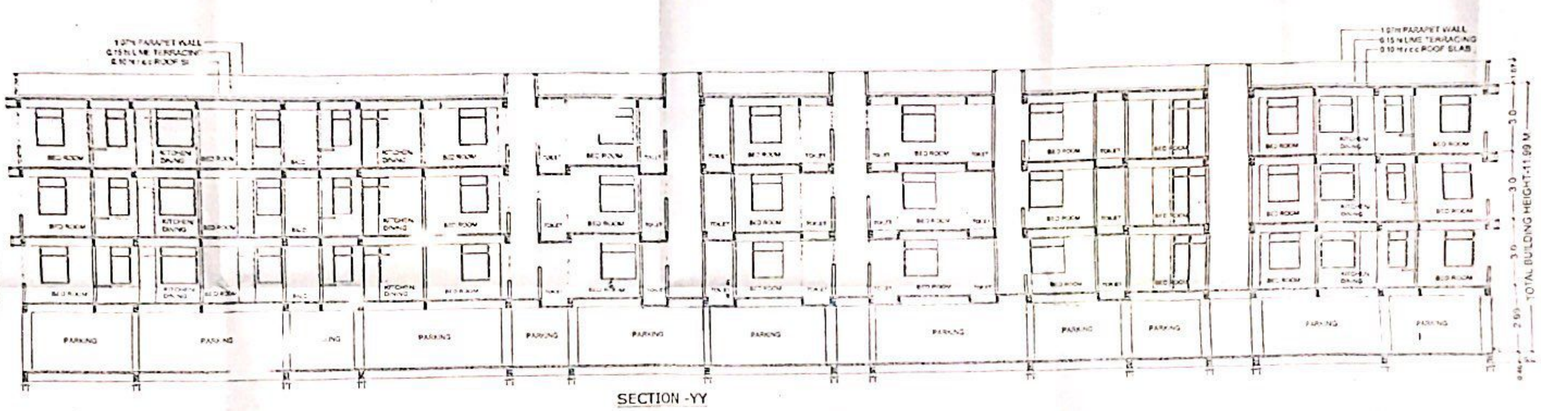


SECTION AT AA

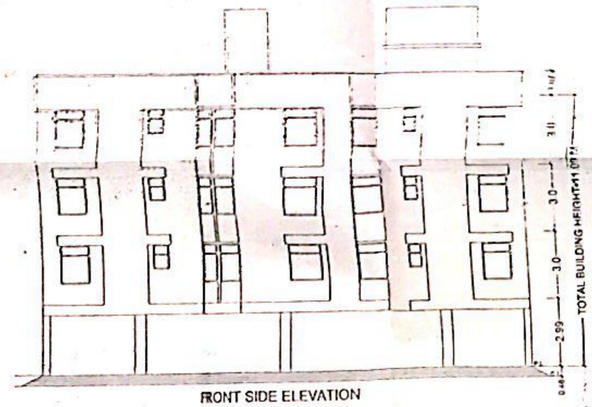
DET. OF RECHARGEBLE BORE WELL



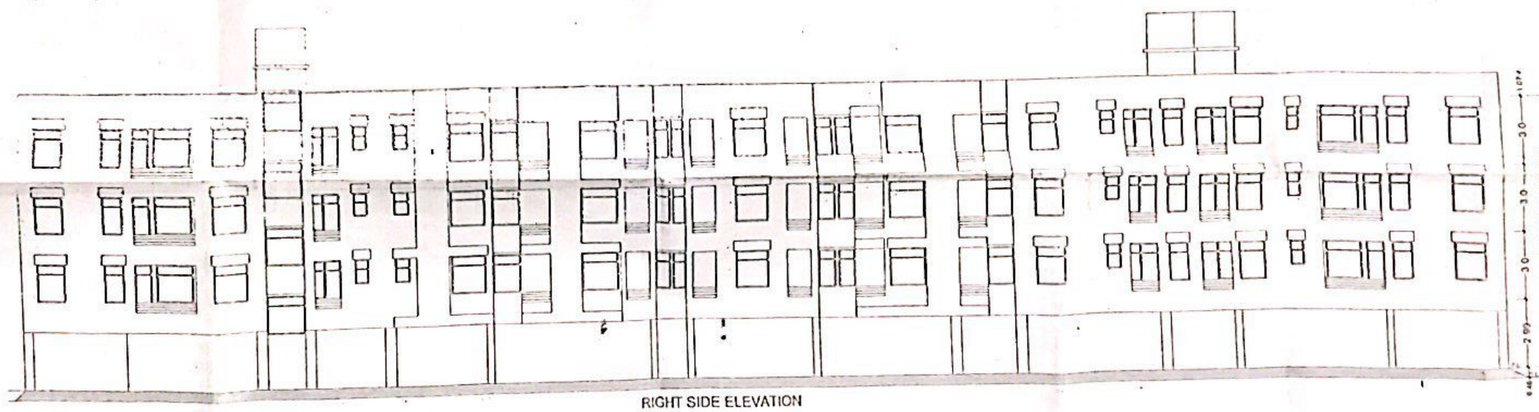
SECTION -XX



SECTION -YY



FRONT SIDE ELEVATION



RIGHT SIDE ELEVATION

PLOT DETAILS:-

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING OF SRI RAJU SINGH , S/O LATE YOGENDRA SINGH ON PLOT NO- 836 THANA NO-36 KHATA NO -31 AT MAUZA-MUSTAFAPUR THANA -DANAPUR DISTT-PATNA

SCALE	DRG NO.
1:100 1:200	02

For AASTIK BUILDTECH PVT. LTD.
Director

For AASTIK BUILDTECH PVT. LTD.
Director

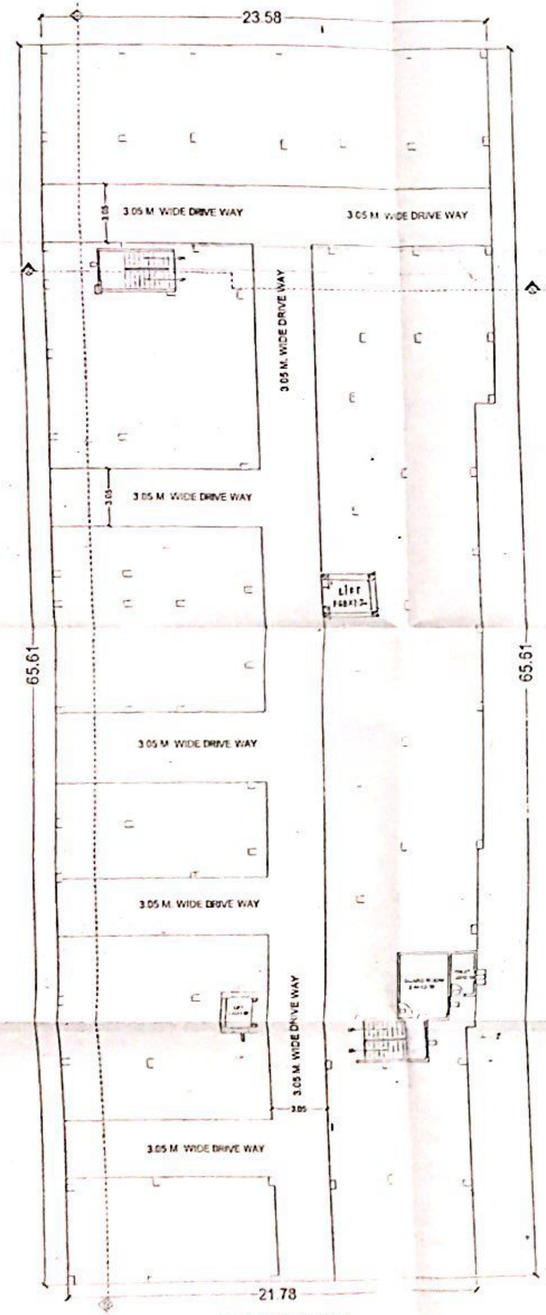
For AASTIK BUILDTECH PVT. LTD.
Director

SIGN OF OWNER

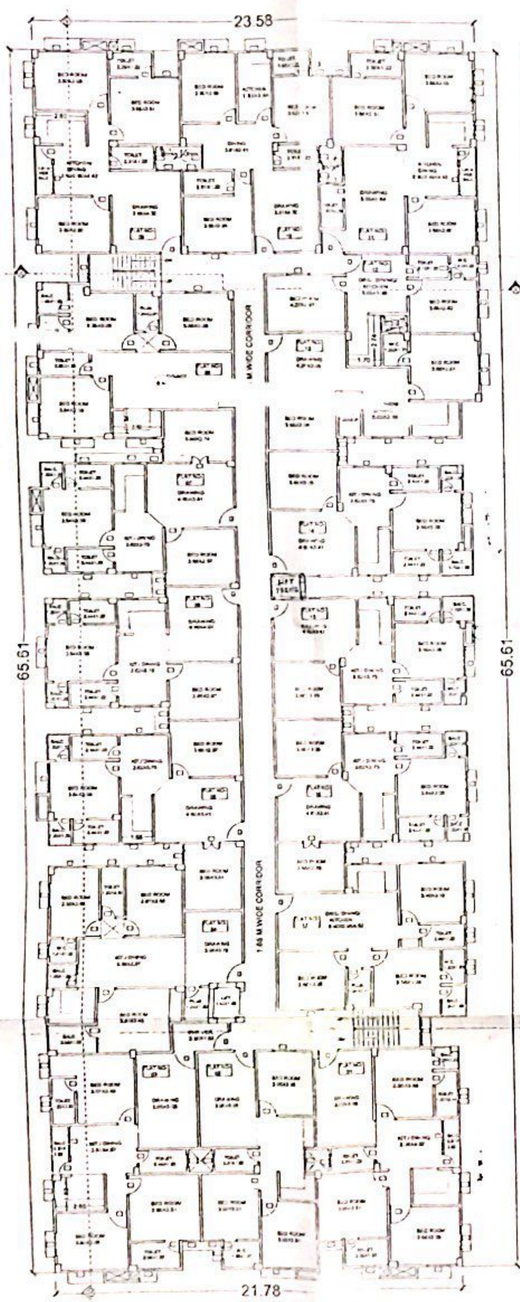
Er. Satyendra Pd. Singh
B.Sc. Engg. (Civil)
Reg. No. GBT/E/2015/161/PCN
Regd. Patna Development Authority

SIGN OF ARCHITECT

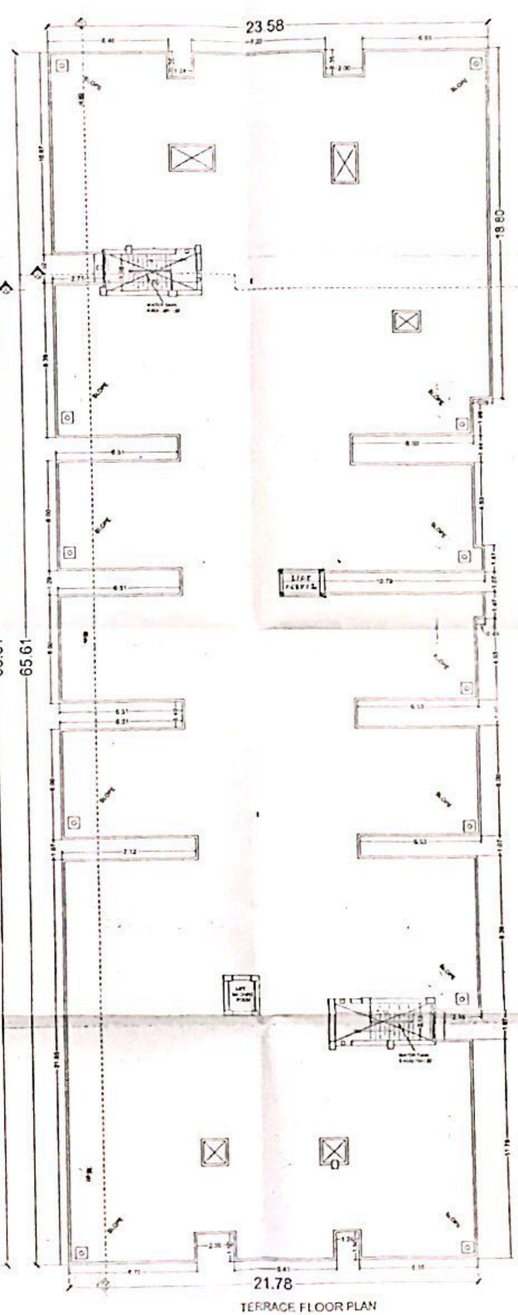
Building Plan No. 97/16-17



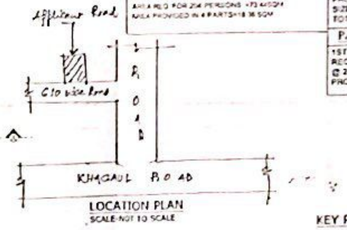
GROUND FLOOR PLAN



TYPICAL 1ST TO 3RD FLOOR PLAN

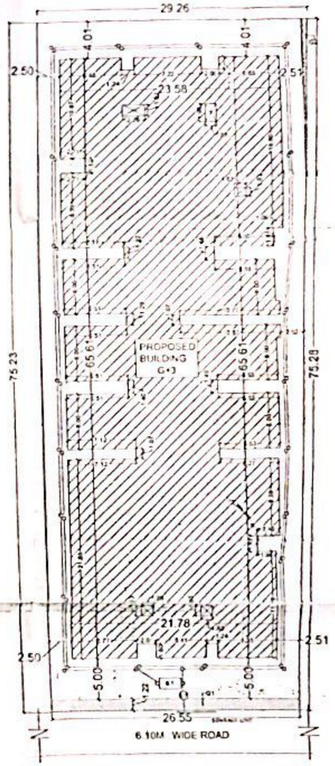


TERRACE FLOOR PLAN



LOCATION PLAN
SCALE-NOT TO SCALE

KEY PLAN



SITE PLAN

SCALE-1:200

RECHARGE WELL CALCULATION

OPEN AREA CALCULATION
TOTAL PLOT AREA= 2100.23 SQM
DESIGNABLE GREEN AREA @ 10%=210.02 SQM
PROVIDED GREEN AREA
G= 90.11 SQM
GTH 50.91 SQM
TOTAL=210.02 SQM

EVERGENCY EVACUATION ASSEMBLY AREA CALCULATION
TOTAL NO OF FLATS=51
TOTAL NO. OF PERSONS @ 5PERSON=255
ASSUMING 50% OCCUPANCY NO. OF PERSONS=254
AREA REQ PER PERSON TO STAND =0.36SQM
TOTAL REQ FOR 254 PERSONS =73.44SQM
AREA PROVIDED IN 4 PARTS=118.36 SQM

WATER TANK CALCULATION
TOTAL NO OF FLAT =51
ONE FLAT 5 PEARSON
TOTAL NO OF PERSON =51X 5 = 255
ONE PERSON REQUI WATER = 135 LTR/DAY
TOTAL REQUI WATER = 27.54 125 =34.425 LTR/DAY
TOTAL REQUI AREA OF WATER TANK = 34.425 CU M
PROVIDE AREA OF WATER TANK
=SIZE 4.87 X 13.41.68 =17.17 CU M
S 1.68 X 13.41.80= 18.53 CU M
TOTAL SIZE OF WATER TANK=35.70 CU M

SEPTIC TANK CALCULATION
TOTAL NO OF FLAT =51
ONE FLAT 5 PERSON
TOTAL NO OF PERSON =51X 5 = 255
ONE PERSON REQUI AREA = 0.065C M /DAY
TOTAL REQUI AREA =255 X 0.065 =21.675 CU M DAY
PROVIDE AREA OF SEPTIC TANK
SIZE =4.5X3.0X2.00 = 27.00 CU M
TOTAL AREA OF SPT C TANK =27.00 CU M

PARKING CALCULATION
1ST TO 3RD FLOOR B/U AREA=4125.83 SQ M
REQUIRED CAR PARKING AREA=
@ 25%=1031.40 SQ M
PROVIDED CAR PARKING AREA=1408.90 SQ M

SPECIFICATION -

SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS

MARK	TYPE	WIDTH	Nos.	HEIGHT
1	D	1.07	9.00	2.74
2	D1	0.99	9.00	2.74
3	D2	0.91	6.00	2.13
4	D3	0.76	9.00	2.29
5	W	1.83	9.00	1.68
6	W1	1.57	9.00	1.68
7	W2	0.91	4.00	1.52
8	W3	0.61	1.52	1.00

AREA STATEMENT

TOTAL PLOT AREA OF THE LAND	=	2100.23 SQM
TOTAL GROUND FLOOR B/U AREA	=	337.41 SQM
TOTAL 1ST FLOOR B/U AREA	=	1375.21 SQM
TOTAL 2ND FLOOR B/U AREA	=	1375.21 SQM
TOTAL 3RD FLOOR B/U AREA	=	1375.21 SQM
TOTAL ALL FLOOR B/U AREA	=	4156.94 SQM

F.A.R ACHIEVED = 1.97

PLOT DETAILS:-

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING OF SRI RAJU SINGH ,S/O LATE YOGENDRA SINGH ON PLOT NO- 836 THANA NO-36 KHATA NO -31 AT MAUZA MUSTAFAPUR THANA DANAPUR DISTT-PATNA

NORTH	SCALE	DRG NO
	1:100 1:200	01

FOR AASTHA BUILDCON PVT. LTD.
Director

FOR AASTHA BUILDCON PVT. LTD.
Director

SIGN OF OWNER

Ar. Satyendra Pd. Singh
B.Sc. Engg (Civil)
Reg. No.-CAT/2005/ 8[illegible]
Major Parshad Danapur, Patna

SIGN OF ARCHITECT

Building Plan No. 97/16-17

[illegible]

ज्ञापांक :- 97

दिनांक :- 29/6/2016

फारम-VII-क

कार्यलय नगर परिषद दानापुर निजामत

भवन की योजना के अनुमोदन

उपविधि संख्या- 8(4)

आप के आवेदन संख्या- 169 तिथि- 24.05.2016 के संदर्भ में

श्री राजु सिंह, पिता- स्व0 योगेन्द्र सिंह, पता- कोथवाँ, दानापुर, पटना।

(क) ✓ आवासीय भवन के निर्माण

(ख) व्यवसायीक भवन के निर्माण

(ग) भवन के पुन:निर्माण

(घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन

(ड़) भवन के उपयोग में परिवर्तन

हेतु दानापुर नगर परिषद/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन स्कीम के प्लौट नं0- 836, खाता नं0- 31, तौजी नं0-, थाना नं0- 36, मौजा- मुस्तफापुर, पता- थाना- दानापुर, जिला- पटना के बाबत निम्नलिखितशर्तो/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केस नं0- 97/16-17 है, की स्वीकृति दी जाती है:-

(1) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(2) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(3) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 1468.90 वर्ग मीटर का पार्किंग एवं ग्रीन एरिया 10% का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(4) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 6.10 मी0 चौड़ाई के वर्तमान पहुंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(5) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(6) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारों/ या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधिन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत

क्षेत्रों के अधिनस्थ दानापुर नगर परिषद नगर निगम/नगर परिषद/पगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/आयोजना क्षेत्र में 0.0 मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।

(7) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन् वर्षो की अवधिं के लिए विधिमान्य होगी।

(8) इस उपबंध के अधिन दी गई अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार, हक, हित बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(9) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू--अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।

(10) बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 एवं बिहार भवन उपविधि 2014 के संगत प्रावधानों का अक्षरसः अनुपालन करना होगा।

(11) अनुमति जारी किए जाने के पश्चात यदि कोई दस्तावेज या तथ्य छुपाए जो या असत्य पाये जाने की स्थिति में नक्शे की स्वीकृति रद्द करते हुए बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007, बिहार भवन उपविधि 2014 एवं अन्य संगत प्रावधानों के तहत 'कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

(12) भवन निमार्ण के पूर्व विहित प्रपत्र में भवन निर्माण करने की सूचना प्राधिकार को दी जायेगी।

(13) नक्शे में वर्णित सड़क चौडीकरण का भूपट्टी को छोडकर ही भवन की चहारदीवार का निर्माण किया जायेगा।

(14) भवन के निमार्ण के बाद भवन में प्रवेश करने के पूर्व बाईलॉज में 'वर्णित प्रपत्र के साथ कम्पलिसन सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से देना होगा। यदि ऐसा नहीं होता हैं तो प्राधिकार स्वीकृत नक्शा को रद्द करने की कारवाई कर सकता है।

(15) प्रधिकार के बाईलॉज के अन्तर्गत वर्णित ऑक्यूपेन्सी सर्टीफिकेट प्राप्त करने के बाद ही भवन में प्रवेश किया जायेगा।

(16) निर्माण के दौरान स्वीकृत नक्शा से किसी प्रकार का विचलन नहीं किया जायेगा। विचलन पाए जाने पर लाईसेन्सी इंजीनियर/आर्किटेक्ट को इसके लिए उत्तरदायी माना जायेगा तथा उनके लाईसेन्स की रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है।

(17) अगर प्रस्तावित स्थल पर पूर्व से निर्मित संरचना हैं जिसे तोडकर 6 माह के अन्दर हटाने का शपथ पत्र दिया गया हैं तो उसका समयावधि में अनुपालन दृढता से किया जायेगा।

(18) बहुमंजिला भवन के नक्शे में वर्णित अग्निशामन फाईटिंग उपकरण सिस्टम के भी प्रावधान को पूरा कर तथा प्राधिकार के अनुमति प्राप्त कर ही भवन में प्रवेश किया जायेगा।

(19) वर्णित नक्शे में दिखलाये गये पार्किंग एरिया में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।

(20) महायोजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग के अनुसार ही निर्माण कार्य एवं भवन का उपयोग किया जायेगा।

(21) बाईलॉज के उप-विधि 2014 के अनुपालन में आप अपने प्रस्तावित भूखण्ड को 10% भाग में पेड लगाना सुनिश्चित करेगें।

(22) भवन निर्माण के दौरान भूकम्प रोधी तकनीक का प्रावधान करना होगा। बहुमंजिले भवनों के भूकम्प से बचाव हेतु किये जाने वाले उपायों की सूची को निर्माण स्थल पर अनिवार्य रूप से डिसप्ले किया जाय।

(23) पब्लिक बिल्डिंग में अपग व्यक्तियों (Person's with disabilities) के अवरोध रहित आवागमन का प्रावधान बाईलॉज के अनुरूप सुनिश्चित करना होगा।

(24) स्थल पर बनाये गये साईनबोर्ड पर प्राधिकार से पारित नक्शे की संख्या तथा पारित नक्शे कितने के लिए हैं का उल्लेख किया जाय।

(25) निर्माण स्थल पर प्राधिकार द्वारा स्वीकृत नक्शे कि एक प्रति अनिवार्य रूप से रखा जाय ताकि प्राधिकार के पदाधिकारी द्वारा स्थल निरिक्षण के समय उनके स्वीकृत नक्शा उपलब्ध हो सके।

कनीय अभियंता 29/6/16
नगर परिषद दानापुर निजामत

सहायक अभियंता 29/6/16
नगर परिषद दानापुर निजामत

नगर कार्यपालक पदाधिकारी 29/6/16
नगर परिषद दानापुर निजामत

ज्ञापांक:- 97 /दिनांक:- 29/6/2016

प्रतिलिपि:- श्री राजु सिंह एवं अन्य, पिता- स्व0 योगेन्द्र सिंह, पत्ता- कोथवाँ, दानापुर, पटना, को सूचनार्थ प्रेषित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी 29/6/16
नगर परिषद दानापुर निजामत